पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 89/2019

अनवान :

कपिल पारीक पुत्र कृष्णा कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

- वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. नरेश पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. संतोष पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण हाल सदलपुर तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
4. बैंक ओबीसी शाखा निनाण जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा श्री संदीप बैनीवाल प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक नं0 5 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 8/10 के मु0नं0 39 के किला नं0 19 की 0.253 है0 व किला नं0 22 की 0. 253 है0 कुल 0.506 है0 नहरी, कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 39/35 के मु0नं0 3 के किला नं0 6/2 की 0.013 है0 किला नं0 6/3 की 0.089 है0 किला नं0 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 और मु0नं0 4 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12 किला नं0 19 व 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 2.632 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सें पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी कपिल पारीक व प्रतिवादी सं0 2 नरेश के नाम 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0))

18.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 89/2019

अनवान :

कपिल पारीक पुत्र कृष्णा कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. नरेश पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. संतोष पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी निनाण हाल सदलपुर तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार।
4. बैंक ओबीसी शाखा निनाण जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा **: वादी**

वकील श्री संदीप बैनीवाल **: प्रति. सं. 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 18.07.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक नं0 5 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 8/10 के मु0नं0 39 के किला नं0 19 की 0.253 है0 व किला नं0 22 की 0.253 है0 कुल 0.506 है0 नहरी, कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 39/35 के मु0नं0 3 के किला नं0 6/2 की 0.013 है0 किला नं0 6/3 की 0.089 है0 किला नं0 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 और मु0नं0 4 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12 किला नं0 19 व 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 2.632 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है।

उक्त वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार को वादी के दादा इन्द्राज से विरासतन प्राप्त हुई है जो चक 5 जेजीडब्ल्यु भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 से 38 के खाता सं0 37 और चक 6 जेजीडब्ल्यु भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029–38 के खाता सं0 43 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है

18.7.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

जो वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हक व हिस्सा है नकल जमाबन्दी संलग्न अर्जीदावा है।

उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान में पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 को उक्त भूमि में से 3/4 हिस्सा और प्रतिवादी सं0 1 को 1/4 हिस्सा प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहे है और प्रतिवादी सं0 3 संतोष वादी की बहन है जो शादीशुदा है और अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद सं0 3 में दर्ज चक नं0 5 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 8/10 की कुल 0.506 है0 नहरी और चक नं0 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 39/35 की कुल 2.632 है0 नहरी कृषि भूमि में से वादी और प्रतिवादी सं0 2 का 3/4 और प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा हक व हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 कपिल पारिक के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 5 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 8/10 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 1, सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 39/35 सम्वत् 2072 से 75 की प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 5 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 की प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 6 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 की प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार को वादी के दादा इन्द्राज से विरासतन प्राप्त हुई है प्रतिवादीया सं0 3 वादी व प्रतिवादी सं0 2 की बहन है जिसने वाद भूमि में से अपना हिस्सा उनके नाम त्याग दिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 5 व 6 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद होना व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार को वादी के दादा इन्द्राज से विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... हनुमानगढ़)

में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 5 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 की प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 6 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 की प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा इन्द्राज वल्द देबु के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई व पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है चूकि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 मध्य राजीनामा हो चुका है जिसमें पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली शुमार किया गया है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में कृष्ण कुमार के वारिसान में पत्नी लिछमा, दो पुत्र कपिल पारीक व नरेश एवं एक पुत्री सन्तोष होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक नं0 5 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 8/10 के मु0नं0 39 के किला नं0 19 की 0.253 है0 व किला नं0 22 की 0.253 है0 कुल 0. 506 है0 नहरी, कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 6 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 39/35 के मु0नं0 3 के किला नं0 6/2 की 0.013 है0 किला नं0 6/3 की 0.089 है0 किला नं0 15 व 16 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 और मु0नं0 4 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12 किला नं0 19 व 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 2.632 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी स0 2 सयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सें पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी कपिल पारीक व प्रतिवादी सं0 2 नरेश के नाम 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

18.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ